

मुकदमा संख्या / वर्ष

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
--------	---------------------------	----------------------

24/8/22

वकील वादी उद्योग वकील वादी के प्रति-
वादीजना की तरफ से एक अवेर
दिया गया, इसके बाद तल्की पेश
नहीं की गई, दिनांक 19/8/2019 को तल्की
के जरिए रजिस्ट्रार डाक द्वारा पेश
करने हेतु अवेर दिया गया इसके
बाद भी तल्की पेश नहीं की गई
अतः वादी का वाद तल्की पेश करने
के अभाव में अंतर्गत आदेश 9 नियम
5 के तहत खारिज दिया जाता है
पत्रावली के तहत शुभान हो, दर्ज नंबर
सं क्रम होकर कार्रवाई समाप्त है

सहायक कलक्टर
कोटपुतली (जयपुर)

आवेदनकर्ता
। दिनांक 19/8/2019 को
। दिनांक 19/8/2019 को

। दिनांक 19/8/2019 को
। दिनांक 19/8/2019 को